## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः— जगदीश प्रसाद गौड़ (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या 355/2016 (प्रार्थना पत्र 251ए रा.का.अधि.)

भूपसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

अप्रार्थीगण ग्यारसीलाल आदि द्वारा दिनांक 01.06.2018 को तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक 1273 दिनांक 18.5.2018 पर आपत्ति प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण भूपसिंह आदि द्वारा नहीं दिया जाकर बहस का निवेदन किया गया का निर्णय आज किया जा रहा है।

उपस्थितिः— श्री शम्भूदयाल अग्रवाल एडवोकेट— अप्रार्थीगण
श्री मनीराम जाखड़ एडवोकेट— प्रार्थीगण

### निर्णय

दिनांकः— 19.07.2018

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2017 को स्पष्ट आदेश दिया गया कि नायब तहसीलदार नीमकाथाना दोनों पक्षों की मौजूदगी में एवं जिसकी जमीन आती हो उसकी मौजूदगी एवं उनको सुनकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। नायब तहसीलदार नीमकाथाना के नाम पूर्व रिपोर्ट तहसीलदार आपत्ति जनक होने पर नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवायी गयी थी। इसी दरमियान नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण हो गया इस पर पुनः तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रेषित किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांक 18.5.2018 से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2017 के आदेश की पालना नहीं की गयी पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया। रिपोर्ट तहसील में बैठकर पूर्ववत बनादी । रिपोर्ट में कहीं भी नोटिस देने व मौके पर जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जबकि मौके पर रिपोर्ट में अंकित रास्ते की दूरी से बहुत कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है। यह रिपोर्ट पूर्व में दी हुयी रिपोर्ट की नकल है जो कि न्यायालय हाजा एवं अपील न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अतः रिपोर्ट विधि संगत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। दिनांक 14.11.2017 की पालना में पुनः किसी निष्पक्ष राजस्व अधिकारी या स्वयं माननीय न्यायालय मौके पर जाकर पक्षकारों की मौजूदगी में सुनकर निर्णित किया जाना न्याय हिमें आवश्यक है। अतः तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांक 18.5.2018 निरस्त की जावे। पुनः किसी निष्पक्ष राजस्व अधिकारी या स्वयं माननीय न्यायालय मौके पर जाकर पक्षकारों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण द्वारा नहीं दिया गया । बहस का निवेदन किया गया ।

दौराने बहस विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अपनी रिपोर्ट में माननीय न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 14.11.2017 की पालना नहीं की गयी है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पूर्व रिपोर्ट की नकल प्रस्तुत की गयी है। मौके पर नहीं गये ना ही पक्षकारान को सूचित किया गया । रिपोर्ट विधि विरूद्ध है जो निरस्त की जावे तथा पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे।

दूसरी ओर प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि मेरा जवाब पूर्व की आपत्ति में जो प्रस्तुत किया गया था वही इसमें समझा जावे। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट बिल्कुल मौके के अनुसार सही है। विधि विरूद्ध नहीं है। अप्रार्थीगण बार बार आपत्ति लगाते है जो केवल प्रकरण में देरीना करने का उद्देश्य है। तहसीलदार मौके पर गये है तथा मौके अनुसार न्यूनतम दूरी का रास्ता मय नक्शा के बताया गया है। तहसील में बैठ कर मौके की रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती । अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना का गहनता से अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 3.10.2017 तथा मौजूदा रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 18.5.2018 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट, पूर्व रिपोर्ट की नकल करना/होना नहीं पाया जाता है। आपत्ति कर्ता का यह भी कथन है कि मौके पर तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट में दर्शाया गया रास्ता के अलावा अन्य दूसरा रास्ता न्यूनतम दूरी का उपलब्ध है, परन्तु अप्रार्थी (आपत्ति कर्ता) द्वारा न्यूनतम दूरी का कौन सा रास्ता किधर से उपलब्ध हो रहा है न्यायालय के समक्ष आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार केवल आपत्ति में यह लिख देने से कि न्यूनतम दूरी का दूसरा रास्ता मौके पर उपलब्ध है पर्याप्त नहीं है, आपत्तिकर्ता द्वारा न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसी सूरत में भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत रास्ता मय नक्शा पर ही विश्वास किया जाना उचित प्रतीत होता है । न्यूनतम दूरी का रास्ता बाबत रिपोर्ट मय नक्शा जो तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत की गई है उससे जाहिर होता है कि रिपोर्ट मौके पर बनाई गई है । अप्रार्थीगण द्वारा बार बार आपत्ति प्रस्तुत कर पुनः रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जा रहा है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर न्यूनतम दूरी का कोई दूसरा मार्ग/रास्ता भी नहीं बताया जा रहा है, ऐसी सूरत में प्रकरण में पुनः रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत पुनः मंगवाये जाने रिपोर्ट सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थीगण (आपत्ति

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

कर्ता) का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.6.2018 खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का.अधि.1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट दिनांक 18.5.2018 रास्ता (मार्ग) में आने वाली भूमि के मुआवजा /प्रतिकर की राशि की गणना वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी दर से तय की जावे तथा रास्ते में कोई निर्माण या पेड़ संरचना आदि हो तो उसका भी नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्रार्थीगण से प्राप्त करें। प्रतिकर/मुआवजा राशि का भुगतान प्रभावित व्यक्तियों को किया जावे। राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता का अंकन किया जावे। आदेश की पालना में निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न कर तहरीर जारी की जावे।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 19.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना